



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2027 (सत्र 2025–27) में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं कक्षा 11 की परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन प्रपत्र जमा करने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश

- कक्षा 11 की परीक्षा, 2026 का आयोजन बहुवैकल्पिक प्रश्नों (MCQ) के आधार पर OMR sheet के माध्यम से किया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र Student Information sheet के रूप में होगा। उक्त प्रपत्र को +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य डाउनलोड कर सभी छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- भरे हुए आवेदन प्रपत्र सभी छात्र/छात्राएँ अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य के पास जमा करेंगे।
- पूर्व में परिषद् द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सभी छात्र/छात्राओं के List of students for Registration/Examination (LoS) तैयार किया गया होगा। छात्र/छात्राओं द्वारा उपलब्ध कराये गये भरे हुए Student Information sheet का मिलान तैयार LoS से किया जाय।
- तैयार किए गए LoS एवं Student Information sheet के मिलान के लिए +2 विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। जिसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जाएगी। ये नोडल पदाधिकारी दोनों प्रपत्रों का मिलान करेंगे और उसमें किसी प्रकार का विभेद परिलक्षित होता है तो तुरन्त उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय।
- दोनों प्रपत्रों के मिलान के बाद त्रुटिरहित LoS तैयार किया जाएगा, जो वर्ग शिक्षक, लिपिक, नोडल पदाधिकारी एवं +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा सत्यापित होगा।
- त्रुटिरहित तैयार किए गए LoS में संधारित डाटा के आधार पर ही ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने की कार्यवाही की जाएगी।
- फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने में भी +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा त्रुटि की जाती है, जिससे दूसरे छात्र का फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र के प्रमाणपत्र में अंकित हो जाते हैं। इस त्रुटि से बचने के लिए +2 विद्यालय/महाविद्यालय को यह सलाह दी जाती है कि LoS में अंकित संबंधित छात्र के क्रम संख्या को ही उस छात्र के फोटो एवं हस्ताक्षर के Scanned file का नामाकरण किया जाय। इससे फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते समय संबंधित छात्र के क्रम संख्या से उसकी पहचान की जा सकती है और त्रुटि की सम्भावना नगण्य होगी।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने के बाद छात्र का चेकलिस्ट डाउनलोड करना आवश्यक होगा।
- डाउनलोड किए गए चेकलिस्ट का मिलान पुनः LoS एवं Student Information sheet से किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भरे गये पंजीयन आवेदन प्रपत्र में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है।
- चेकलिस्ट पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य, नोडल पदाधिकारी, छात्र एवं उनके अभिभावक का हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा।
- चेकलिस्ट एवं LoS दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। +2 विद्यालय/महाविद्यालय विद्यालय अपने कार्यालय में इसे सुरक्षित रखेंगे। ताकि परिषद् को जब इसकी आवश्यकता होगी तो उसे उपलब्ध कराया जा सके।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र भरने की कार्यवाही समाप्त होने एवं कक्षा 11 की परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात् किसी भी तरह की संशोधन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसके संबंध में सशुल्क आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
- कक्षा 11 में पंजीयन के लिए आवेदन करनेवाले छात्र/छात्रा बहुसंख्यक मात्रा में माध्यमिक परीक्षा परिषद् से ही उत्तीर्ण होते हैं और उनके कक्षा 09 के आवेदन का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में पुनः उन छात्रों का आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदित कराया जाना समीचीन नहीं है। अतः कक्षा 11 में छात्रों का पंजीयन हेतु आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदित कराने संबंधी शर्त को विलोपित किया जाता है। पोर्टल पर परिषद् से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से संबंधित डाटा पूर्व से ही उपलब्ध होंगे। माध्यमिक परीक्षा का पंजीयन संख्या डालकर संबंधित छात्र/छात्राओं के पंजीयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

- +2 विद्यालय/महाविद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Online या NEFT/RTGS के माध्यम से चालान में अंकित खाता संख्या में जमा करेंगे। राशि जमा करने के उपरान्त उसकी पूर्ण विवरणी पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- शुल्क जमा करने एवं विवरणी पोर्टल पर अपलोड करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद, जाति प्रमाण पत्र, शपथपत्र (+2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित) के साथ परिषद् कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र-छात्राओं का कक्षा 11 की परीक्षा, 2026 के लिए प्रवेशपत्र निर्गत किया जाएगा, जिनका नाम Consolidated list में होगा।
- छात्र/छात्रा, उनके माता-पिता/अभिभावक, +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य एवं नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेकलिस्ट भी परिषद् कार्यालय में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 07 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
- सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय का अपना ई-मेल आईडी होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आईडी के माध्यम से ही भविष्य में परिषद् द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। +2 विद्यालय/महाविद्यालय से अलग ई-मेल आईडी देने या उसका पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तगत कराने के उपरान्त किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।
- वैसे +2 विद्यालय/महाविद्यालय, जिन्हें Login ID एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, Login ID एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय से केवल स्वतंत्र रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2027 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है जो नियमित छात्र/छात्राओं के साथ किया जाना है।

नोट :- वर्ष 2027 की इंटर परीक्षा में निम्नांकित छात्र/छात्राएँ या शिक्षक ही स्वतंत्र छात्र के रूप में बैठ सकते हैं :-

(1) वैसे शिक्षक जो प्रस्वीकृत संस्था में कार्यरत हैं तथा वर्ष 2025 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे शिक्षक को संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक होने का प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(2) महिला एवं दिव्यांग छात्र, जो वर्ष 2025 एवं उसके पूर्व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे महिला एवं दिव्यांग छात्र को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन अमुक व्यक्ति के निर्देशन में किया है और अमुक कारणों से वे इंटर के नियमित रूप से प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं।

(3) पुरुष छात्र भी पंजीयन करा सकते हैं, वे वर्ष 2025 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र जिन कारणों से वे प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं, उससे सम्बन्धित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करेंगे। स्वतंत्र रूप से कोई भी छात्र प्रायोगिक विषय के साथ विज्ञान संकाय में परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। परीक्षा में भूगोल विषय रखने के लिये उसे प्रस्वीकृत संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने संस्था से 6 माह का नियमित प्रायोगिक कोर्स/कार्य पूरा किया है। परन्तु गृह विज्ञान/संगीत के प्रायोगिक परीक्षा के लिये उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त कोटि के परीक्षार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र के साथ उल्लेखित वर्ष या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।

- छात्र/छात्राओं के पंजीयन विवरणी में सुधार चालान जनरेट करने के पूर्व करना सम्भव हो सकेगा। चालान जनरेट करने के बाद विवरणी में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।

- सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्राचार्य पंजीयन आवेदन प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालान, समेकित विवरणी, आदि संबंधित दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि के 07 दिनों के अन्दर परिषद् कार्यालय में हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पंजीकृत होनेवाले छात्र/छात्राओं की कोटि उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र के आलोक में ही भरी जाय। जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वे छात्र/छात्रा सामान्य कोटि के माने जायेंगे। भविष्य में जाति से संबंधित संशोधन नहीं किया जायेगा।
- पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन हेतु शुल्क की विवरणी

Sl No	Candidate Type		Total Fees (Before Start of Late Fine)	Total Fees (After Start of Late Fine)
1	REGULAR GIRL	Passed Class X from JAC, Appearing from a Permitted Faculty	420	920
2		Passed Class X from JAC, Appearing from a Non Permitted Faculty	1120	2120
3		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Permitted Faculty	720	1720
4		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Non Permitted Faculty	1420	2920
5	REGULAR BOYS	Passed Class X from JAC, Appearing from a Permitted Faculty	670	1170
6		Passed Class X from JAC, Appearing from a Non Permitted Faculty	1370	2370
7		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Permitted Faculty	970	1970
8		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Non Permitted Faculty	1670	3170
9	PRIVATE GIRL	Passed Class X from JAC, Appearing from a Permitted Faculty	1370	2370
10		Passed Class X from JAC, Appearing from a Non Permitted Faculty	1370	2370
11		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Permitted Faculty	1670	3170
12		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Non Permitted Faculty	1670	3170
13	PRIVATE BOYS	Passed Class X from JAC, Appearing from a Permitted Faculty	1370	2370
14		Passed Class X from JAC, Appearing from a Non Permitted Faculty	1370	2370
15		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Permitted Faculty	1670	3170
16		Passed Class X from Other Board, Appearing from a Non Permitted Faculty	1670	3170
17	EX-REGULAR	Girl Candidate	420	920
18		Boys Candidate	420	920

- ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् है:-

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन प्रपत्र Online submit करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	Online या NEFT/RTGS के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	18.12.2025 से 02.01.2026 तक	02.01.2026	05.01.2026
विलम्ब शुल्क सहित	03.01.2026 से 09.01.2026 तक	09.01.2026	12.01.2026

- जिन छात्र/छात्राओं के पंजीयन की अवधि अधिकतम तीन वर्ष समाप्त हो चुकी हो, अर्थात् जिनका पंजीयन वर्ष 2021 (सत्र 2021-23) या उससे पूर्व हो, उन्हें नये रूप से पुनः पंजीयन (Fresh Registration) कराना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 11 की परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कक्षा 11 की परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही ऐसे छात्र/छात्रा इंटरमीडिएट परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।